प्रेस नोट संख्या-03

दिनांक 04.03.2025

सराहनीय कार्य थाना जामो पुलिस व स्वाट/ सर्विलांस टीम

चोरी का खुलासा, चोरी के 29 अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन (कीमत लगभग 05 लाख रुपये), 01 अदद डमी मोबाइल व 01 अदद लैपटाप के साथ 01 अन्तर्जनपदीय शातिर चोर गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- श्री शशिघर मिश्रा उर्फ राहुल मिश्रा पुत्र केशवराम मिश्र निवासी ग्राम पूरे विश्राम का पूरवा मजरे उमराडीह थाना जामो जनपद अमेठी द्वारा दिनांक 15.02.2025 को थाना जामो पर लिखित प्रार्थनापत्र दिया गया कि वादी की दुकान की दीवाल काटकर रुपये व मोबाइल फोन अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है। उक्त सूचना पर थाना जामो पर मु0अ0सं0 31/25 धारा 305,331(4) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है। पुलिस अधीक्षक अमेठी महोदया द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर आवश्यक आदेश-निर्देश दिये गये थे।

उक्त घटना के अनावरण के क्रम में दिनांक 04.03.2025 को उ0नि0 संजीव कुमार थाना जामो मय हमराह व उ0नि0 अनूप कुमार सिंह प्रभारी स्वाट/सर्विलांस टीम मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 31/25 धारा 305,331(4) बी0एन0एस0 थाना जामो जनपद अमेठी से सम्बन्धित प्रकाश में आये 01 नफर अभियुक्त मोनू पाल पुत्र देव मुनि निवासी मोदीपुर मजरे उरहा थाना खखरेरू जनपद फतेहपुर उम्र करीब 23 वर्ष को भोए बाजार के पास से समय करीब 04:50 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया। तलाशी से अभियुक्त के कब्जे से बैग में रखे 29 एन्ड्राइड मोबाइल फोन, 01 डमी मोबाइल फोन व 01 लैपटाप मय चार्जर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबन्ध में थाना जामो पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त मोनू पाल ने बताया कि दिनांक 14.02.2025 को कौशाम्बी कोर्ट में पेशी थी। पेशी के बाद मैं रायबरेली से फैजाबाद होते हुये गौरीगंज आ गया। गूगल के माध्यम से मोबाइल फोन की दूकान को सर्च किया गौरीगंज में भीडभाड़ होने के कारण चोरी नहीं कर पाया। फिर मैं गूगल के माध्यम से जामो में मिश्रा मोबाइल शॉप पर आ गया और दिन में दुकान व आस पास रैकी किया और रात में स्कूल की दीवाल के ऊपर चढ़कर छत से दुकान की दीवाल को छेनी, सब्बल से काटकर अन्दर चला गया। मोबाइल की दुकान से मैं 35 एन्ड्राइड मोबाइल फोन, 01 डमी मोबाइल फोन, 01 लैपटाप पुराना मय चार्जर व 14600 रुपये चोरी कर लिया था। बरामद मोबाइल फोन व लैपटाप उसी चोरी के हैं, चोरी के 06 मोबाइल फोन मैं चलते फिरते लोगों को बेच दिया था व रुपये खर्च हो गये।

गिरफ्तारी का स्थान- भोए बाजार **समय-** करीब 04.50 बजे सुबह **दिनांक –** 04.03.2025।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

- मोनू पाल पुत्र देव मुनि निवासी मोदीपुर मजरे उरहा थाना खखरेरू जनपद फतेहपुर उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी-

1. चोरी के 29 अदद मोबाइल फोन।
2. 01 अदद डमी मोबाइल।
3. 01 अदद लैपटाप मय चार्जर।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 31/25 धारा 305,331(4), 317(2) बी0एन0एस0 थाना जामो जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 अनूप कुमार सिंह प्रभारी स्वाट/सर्विलांस टीम जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 संजीव कुमार थाना जामो जनपद अमेठी।
3. उ0नि0 रामविशाल वर्मा थाना जामो जनपद अमेठी।
4. हे0का0 चन्द्रेश कुमार थाना जामो जनपद अमेठी।
5. हे0का0 आलोक सिंह स्वाट टीम जनपद अमेठी।
6. हे0का0 आशीष सिंह चौहान सर्विलांस टीम जनपद अमेठी।

7. का0 जयहिन्द यादव स्वाट टीम जनपद अमेठी।
8. का0 सिकन्दर स्वाट टीम जनपद अमेठी।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 252/15 धारा 380,411 भादवि थाना खखरेऊ जनपद फतेहपुर।
2. मु0अ0सं0 256/15 धारा 457,380,411 भादवि थाना खखरेऊ जनपद फतेहपुर।
3. मु0अ0सं0 199/18 धारा 380,411 भादवि थाना खखरेऊ जनपद फतेहपुर।
4. मु0अ0सं0 228/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खखरेऊ जनपद फतेहपुर।
5. मु0अ0सं0 226/18 धारा 457,380,411 भादवि थाना खागा जनपद फतेहपुर।
6. मु0अ0सं0 271/21 धारा 8/21 एनडीपीएस थाना नबाबा जनपद झासी।
7. मु0अ0सं0 113/22 धारा 380,411,413,457 भादवि थाना धाता जनपद फतेहपुर।
8. मु0अ0सं0 290/22 धारा 380,411,413,414,427,457 भादवि थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर।
9. मु0अ0सं0 344/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर।
10. मु0अ0सं0 258/23 धारा 380,411,413,414,457 भादवि थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी।
11. मु0अ0सं0 200/23 धारा 380,411,413,414,457 भादवि थाना पहाडी जनपद चित्रकूट।